रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2000.

राजपत्र हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 14 अगस्त, 2000/23 श्रावण, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st August, 2000

No. FDS-B (2) 1/97-II.—Consequent upon the falling of the posts of Part-time members of District Consumer Redressal Forums vacant, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 10 of the Consumer Protection Act, 1986, on the recommendations of the selection Committee, is pleased to appoint the following as Part-time members against such vacant posts at the District Consumer Redressal Forums shown against their names :—

Sl. No.	Name and Address	Name of District Forum
1	2	3
1.	Smt. Roopa, Sharma, R. R. House, Set No. 1, Near Mann House, Upper Shankli, Shimla-1.	District Forum, Shimla
2.	Shri Vikram Raj Sharma, Advocate, Sukh Niwas, Red Cross Road, Solan.	District Forum, Solan

1336-राजपत्र/2000-14-8-2000—1,393. (2431) मूल्य : 1 रुपया।

1	2	3
3.	Smt. Rakesh Sharma, Sharma Building, Chambaghat, Solan.	District Forum, Solan
4.	Shri Dina Nath Sharma, Advocate, District Court, Mandi (H. P.).	District Forum, Mandi
5.	Smt. Veena Rajoo, H. No. 101, Manthala Bhawan, Vill. Devdhar, P. O. Talyahar, Mandi.	District Forum, Mandi
6.	Shri Nasib Singh, Advocate, V. & P. O. Sangla, District Kinnaur.	District Forum, Kinnaur
7.	Miss Rattan Manjari V. & P. O. Ribba, District Kinnaur.	District Forum, Kinnaur
8.	Shri Vijender Chaudhary, Advocate, V. & P. O, Paonta Sahib, District Sirmaur.	District Forum, Sirmaur
9.	Smt. Santosh Saini, V. & P. O. Kotla Klan, Tehsil and District Una.	District Forum, Una
10.	Shri Balwant Singh, Advocate, Chamba.	District Forum, Chamba.

By order,

S. S. NEGI,
F. C.-cum-Secretary.

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 अप्रैल, 2000

संख्या 1(ए)3-8/91-श्रम.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969 (1970 का 10) की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देते हैं कि उपरोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध नगर पंचायत, बद्दी, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर आने वाली दुकानों और वाणिज्य संस्थानों पर, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव ।

पंचायती राज विभाग

आदेश

शिमला-9, 3 जुलाई, 2000

सं0 पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 34/2000-ठोंडा जाखल.—चूंकि श्री रत्न सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत ठोंडा जाखल, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को उपायुक्त, सिरमौर द्वारा आदेश सं0 पी0 एस0 (आडिट)/87-6003-11, दिनांक 29 मार्च, 2000 द्वारा सरकारी धनराशि के दुरुपयोग/छलहरण के आरोपों में संलिप्त पाए जाने के कारण प्रधान पद से निलम्बित किया गया ।

और यह कि उक्त प्रधान द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीली प्राधिकारी के सम्मुख अपील दायर की है जो कि अभी तक अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित है । अत: राज्य सरकार ने अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर-भीतर उक्त प्रधान के निलम्बन आदेशों की पुष्टि करने का जनहित में निर्णय लिया है ।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (3) में प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए, श्री रत्न सिंह, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत ठोंडा जाखल, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के निलम्बन आदेशों की पुष्टि करने के महर्ष आदेश प्रदान करते हैं ।

शिमला-9, 18 जुलाई, 2000

सं0 पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 96/94-बरोटी.—यह कि श्रीमती किरपी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत बरोटी, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी को उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी द्वारा सरकारी धनराशि के दुरुपयोग/छलहरण करने के आरोप सं0 पी0सी0 एन0-एम0 एन0 डी0-1841-45, दिनांक 9-5-2000 द्वारा प्रधान पद से निलम्बित किया गया ।

और यह कि उक्त प्रधान के निलम्बन आदेशों की राज्य सरकार ने विनिहित अवधि के भीतर-भीतर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (3) क अन्तर्गत पुष्टि करने का जनहित में निर्णय लिया है ।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती अधिनियम, 1994 की धारा 145 (3) में प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए, श्रीमती किरपी देवी प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत बरोटी, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी के उपरोक्त निलम्बन आदेशों की पुष्टि करने के महर्ष आदेश प्रदान करते हैं ।

शिमला-9, 25 जुलाई, 2000

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 152/98.—यह कि श्री चेत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बढ़ाल, विकास खण्ड जुब्बल, जिला शिमला को उपायुक्त, शिमला द्वारा कार्यालय आदेश सं0 पी0सी0 एच0-एस0 एम0 एल0(4) 4999-5006 दिनांक 18-1-2000 द्वारा सरकारी धनराशि के दुरूपयोग/छलहरण करने के आरोप में प्रधान पद से निलम्बित किया गया ।

और यह कि उक्त प्रधान द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीली प्राधिकारी के सम्मुख अपील दायर की जिन्होंने मामले में धारा 146 के अन्तर्गत जांच करवाने के आदेश पारित किए गए । राज्य सरकार ने धारा 146 के अन्तर्गत एस0 डी0 एम0, रोहड़ू के माध्यम से जांच करवाई गई जिसमें प्रधान को आंशिक रूप से दोषी पाया गया । प्रधान द्वारा नगद शेष रखने के एवज में दिनांक 17-3-2000 को रु0 3150/- रुपये ब्याज के रूप में पंचायत निधि में जमा करवाए गए हैं जिससे प्रधान के विरुद्ध लगा आरोप निष्क्रिय हो जाता है । अतः अब राज्य सरकार ने उक्त प्रधान को पुनः प्रधान पद पर बहाल करने का जनहित में निर्णय लिया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त श्री चेत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बड़ाल विकास खण्ड जुब्बल, जिला शिमला को प्रधान पद पर बहाल करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं और भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न करने तथा पंचायत के कार्य को सुचारू रूप से चलाने बारे भी चेतावनी देते हैं । श्री चेत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बड़ाल को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने पद के दायित्वों के निष्पादन करते समय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को मध्यनजर रखें ।

शिमला-9, 25 जुलाई, 2000

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 98/99-पोले दा खाल.--यह कि श्रीमती सुन्दरी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत पोले दा खाला, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन को उपायुक्त, सोलन द्वारा कार्यालय आदेश संख्या एम0 एल0 एन0-4-118 (पंच)/87-3358-63, दिनांक 21-9-99 को विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में अनियमितता बरतने व सरकारी धनराशि के दुरूपयोग करने के आरोप में प्रधान पद से निलम्बित किया गया ।

और यह कि उक्त प्रधान द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीली प्राधिकारी के सम्मुख अपील दायर की जिन्होंने मामले में धारा 146 के अन्तर्गत नियमित जांच करवाने के आदेश पारित किए गए थे । तदोपरांत राज्य सरकार ने एस0 डी0 एम0, नालागढ़, जिला सोलन के माध्यम से धारा 146 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत नियमित जांच करवाई गई जिसमें उक्त प्रधान को दोषमुक्त पाया गया । अतः राज्य सरकार ने उक्त प्रधान को पुनः प्रधान पद पर बहाल करने का जनहित में निर्णय लिया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त श्रीमती सुन्दरी देवी प्रधान, ग्राम पंचायत पोले दा खाला, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन को प्रधान पद पर बहाल करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं और भविष्य में उपरोक्त अनियमितता न दोहराने बारे तथा ग्राम पंचायत का कार्य सुचारू रूप से चलाने बारे चेतावनी देते हैं । श्रीमती सुन्दरी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत पोले दा खाला, विकास खण्ड नालागढ़ को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे ग्राम पंचायत के विकास कार्य संचालित करवाते समय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व तद्धीन बने नियमों की अनुपालना करें ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F* (6)-21/95, *dated* 19-7-2000 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 19*th July*, 2000

No. TCP-F (6)-21/95-2365-2515.—Whereas Bilaspur Planning Area has been constituted under section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 *vide* notification No. TCP-F (6)-21/95 dated 16-6-98.

And whereas existing landuse map of of the said Planning Area has not yet been published under section-15 of the Act *ibid*.

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the change of landuse or any building operation in the aforesaid Planning Area is likely to cause disturbance in the shape of land and its use is considered detrimental for preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is also likely to make it difficult to plan and develop the said area on scientific line and in accordance with the provisions of aforesaid Act.

As previous notification No. TCP-F (6)-21/95, dated 14-6-99 the existing landuse map could not be completed and notified and is not likely to be notified by the stipulated time *i.e.* 14-6-2000 (within one year from the date of publication in the Gazettee). Therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, the Governor of Himachal Pradesh is further pleased to extend the date of freezing the existing landuse of Bilaspur Planning Area under sub-section (1) of section 15-A for a further period of 6 months *i.e.* upto 14-12-2000.

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-*Secretary*.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 अगस्त, 2000

संख्या यु0 डी0-एफ0(4)-3/98-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1979 (1979 का 19) की धारा 2 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तुरन्त प्रभाव से सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :—

1. आयुक्त, नगर निगम शिमला, नगर निगम क्षेत्र के लिए;

2. कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश में नगरपालिका परिषदों के प्रादेशिक क्षेत्रों में आने वाले क्षेत्रों के लिए ; और

3. हिमाचल प्रदेश में नगर पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में आने वाले क्षेत्रों के लिए सचिव ।

आदेश द्वारा,

रवि ढींगरा,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. UD-F-*(4)3/98-*III, dated 3rd August*, 2000 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the *3rd August*, 2000

No. UD-F (4)-3/98-III.—In exercise of the powers conferred by clause (*c*) of section 2 of the Himachal Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1979 (Act No. 19 of 1979) the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to appoint the following Officers as competent authority for the purposes of the Act *ibid*, with immediate effect :—

(*i*) The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla in respect of Municipal Corporation, Shimla area ;

(*ii*) The Executive Officers in respect of areas falling in the territorial areas of Municipal Councils in Himachal Pradesh; and

(*iii*) The Secretaries in respect of areas falling in the territorial areas of Nagar Panchayats in Himachal Pradesh.

By order,

RAVI DHINGRA,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित